



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI



संदर्भ सं० / Ref.No. 473/NGT OA No. 395 of 2024/2024-25

दिनांक / Date- 09.08.2024
By E-mail

To,
The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg
New Delhi-110001.

Sub: **Regarding Submission of Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 02.07.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 395 of 2024 In the matter of Deepak Rai Versus State of UP.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 02.07.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the matter of OA No. 395 of 2024 In the matter of Deepak Rai Versus State of UP. The response report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures:As above

Sincerely Yours,

(U.K. Gupta)
Regional Officer

Copy to following for kind information & necessary action.

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow in compliance of vide letter no. H 15583/C-6/Sa-895/OA 395/2024/VARANASI /2024, dt. 09.08.2024.
3. Law Officer (I), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Shri Pradeep Misra, Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

Regional Officer

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO- 395/ 2024

IN THE MATTER OF:

Deepak Rai

Applicant

Versus

State of UP

Respondent

Order Date- 02.07.2024

Next Listing- 13.08.2024

RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE
ORDER DATED 02.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW
DELHI IN ORIGINAL APPLICATION NO. 395 OF 2024 IN THE
MATTER OF DEEPAK RAI VERSUS STATE OF UP.

That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 02.07.2024 in Original Application No. 395 of 2024 in the matter of Deepak Rai Versus State of UP has passed the following directions:-

"..... **6. We also find it appropriate to implead following as respondents:**

- i. UP State Pollution Control Board, through its Member Secretary,**
- ii. District Magistrate, Janpur**
- iii. M/s R S Int Udyogthorough his Proprietor Ajit Vikram Singh R/o Lathapur, Development Block Muftiganj, Tehsil Kerakat, District Jaunpur.**

7. Registry shall issue notices to the above respondents who may file their responses at least one week before the next date.....”

Response-

1. That in compliance to the order dated 02.07.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 395 of 2023, an Joint Committee Report has been submitted by the District Magistrate, Varanasi vide letter no 472/OA No.395/2024 dated-09.08.2024 before this Hon'ble Tribunal.
2. That the relevant excerpt of the above Joint Committee Report is as follows:

“.....I. No Brick Kiln was found operated with the name of M/s R S Int Udyog at the gata No. 583/ 1.169 Hectare of Village Devkali, Tehsil Kerakat, DistrictJaunpur. As per record of revenue, M/s Gagan Ent Udhyog (R.S. Marka) is situated at the said gata No. 583/ 1.169 Hectare of Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur.....”

“.... **Conclusion:**

The Brick kiln namely M/s Gagan Ent Udhyog (R.S. Marka), Village-Devkali, Tehsil-Kerakat, District-Jaunpur has not obtained valid ‘Consent to Operate’ (CTO) form UPPCB. In the light of this fact, UPPCB had issued closure order against the brick kiln under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-10.01.2024. For ensuring the compliance of closure

order, the Joint Committee constituted by District Administration, Jaunpur vide Letter dated 18.01.2024 had stopped the operation of brick kiln on dated 07.03.2024. Further, UPPCB has also requested to S.H.O. (Police), Keraket, Jaunpur vide letter dated- 21.05.2024 for ensuring the compliance of closure order issued against the brick kiln. Presently, the operation of brick kiln was found closed during site visit on dated 15.07.2024 by UPPCB official and on dated 07.08.2024 by joint committee....”

3. That it is pertinent to mentioned here that the matter regarding to the similar brick kiln in question has also been considered by this Hon’ble Tribunal vide its order dated 15.05.2024 passed in the Original Application No. 544 of 2024 in the matter of Deepak Rai Versus State of UP.
4. That in compliance to the above order dated 15.05.2024, response has been submitted by the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter No- 413/OA No.544 /2024/ Gagan Int/ 2024- 25 dated 27.07.2024 before this Hon’ble Tribunal. The said response is already being on record of this Hon’ble Tribunal.
5. That further, Hon’ble Tribunal has disposed the Original Application No- 544 of 2024 in the matter of Deepak Rai Versus State of UP vide its order dated 01.08.2024. The relevant excerpt of the said order is as following-

"..... 6. Response only from the UPPCB has been received on 27.07.2024. A perusal of the said response reveals that the closure order dated 10.01.2024 was passed under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 with the direction to the respective District Magistrates and District Heads of Police for implementation of the closure order against the brick kiln – Respondent No. 5 because the brick kiln was found to be operating without CTO under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. The reply of UPPCB also states that a Five Member Committee was constituted by the District Magistrate on 18.01.2024 for compliance of the closure order and in pursuance thereto, the closure order was complied with as reflected in the report of the Committee dated 07.03.2024. The reply further reflects that on 15.07.2024 the RO, UPPCB had carried out the inspection of Respondent No. 5 and the brick kiln was found to be closed. The conclusion of the report of UPPCB summarizes the position as under:

.....“Conclusion

The brick kiln namely M/s Gagan Int Udyog (R.S. Marka), Village-Devkali, Tehsil-Kerakat, District-Jaunpur has not obtained valid 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB UPPCB had issued closure order against the brick kiln under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-10.01.2024. For ensuring the compliance of closure order, the Joint Committee constituted by District Administration, Jaunpur vide Letter dated 18.01.2024 had stopped the operation of brick kiln on dated 07.03.2024. Further, UPPCB has also

requested to S.H.O. (Police), Keraket, Jaunpur vide letter dated-21.05.2024 for ensuring the compliance of closure order issued against the brick kiln. Presently, the operation of brick kiln was found closed during site visit on dated 15.07.2024 by UPPCB official.”

.....9. In view of the above subsequent development, the grievance of the Applicant stands redressed and nothing further is required to be done in this OA which is accordingly disposed of.....”

Therefore, the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.



(UK Gupta)

Regional Officer,
UP Pollution Control Board,
Varanasi.

Ref. No.: 472 / O.A. No. 395/2024

Date: 09/08/24

From,

Ravindra Kumar Mander,
District Magistrate,
Jaunpur.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:-Submission of Joint Committee Report in pursuant to order dated 02.07.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 395 of 2024 in the name of Deepak Rai versus State of Uttar Pradesh & Ors and response on the behalf of Respondent-2.

Sir,

In the above noted case, Hon'ble National Green Tribunal directed the following:-

"3.....We find it appropriate to obtain a factual report verifying the facts and hence, constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Jaunpur and UP State Pollution Control Board.

4. District Magistrate, Jaunpur shall be the Nodal Agency for compliance and co-ordination.

5. The Committee shall visit the site, collect relevant information and submit Factual Report within one month.

6. We also find it appropriate to implead following as respondents:

i. UP State Pollution Control Board, through its Member Secretary,

ii. District Magistrate, Jaunpur

iii. M/s R S Int Udyog through his Proprietor Ajit Vikram Singh R/o Lathapur, Development Block Muftiganj, Tehsil Kerakat, District -Jaunpur.

7. Registry shall issue notices to the above respondents who may file their responses at least one week before the next date.

8. List this matter for further consideration on 13.08.2024."

In compliance of the above direction issued by Hon'ble Tribunal vide order dated 02.07.2024 in the matter of OA 395 of 2024, the Joint Committee Report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid Joint Committee report-cum-response on the behalf of Respondent-2 may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

(Ravindra Kumar Mander)
District Magistrate
Jaunpur

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 395 of 2024

IN THE MATTER OF:

Deepak Rai

..... Applicant

Versus

State of U.P.

.... Respondant (s)

INDEX

S.No.	Description	Page No.
1.	Joint Committee Report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 02.07.2024 in O.A. No. 395/2024.	3-7
2.	Annexure-1, Copy of show-cause notice issued by UPPCB against the brick kiln under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-21.11.2023.	8-9
3.	Annexure-2, Copy of recommendation made by Regional Officer, Varanasi sent vide letter dated-25.10.2023.	10-11
4.	Annexure-3, Copy of closure order issued by UPPCB against the brick kiln under section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-10.01.2024.	12-13
5.	Annexure-4, Copy of the District Magistrate, Jaunpur vide office order dated 18.01.2024.	14
6.	Annexure-5, Copy of the compliance report dated 07.03.2024 along with photographs.	15
7.	Annexure-6, Copy of the Inspection report dated 15.07.2024 along with photograph.	16-17
8.	Annexure-7, Copy of the letter dated 21.05.2024 sent to S.H.O. (Police), Keraket, Jaunpur for ensuring the compliance of closure order.	18
9.	Annexure-8, Photographs taken during joint inspection.	19

FILED BY

(Ravindra Kumar Mander)
District Magistrate
Jaunpur

Joint Committee Report in pursuant to order dated 02.07.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 395/2024, Deepak Rai versus State of Uttar Pradesh & Ors.

1. That Hon'ble NGT has constituted a joint committee vide its Order dated 02.07.2024 in Original Application No. 395/2024, Deepak Rai Versus State of Uttar Pradesh & Ors. and directed joint committee for verifying the factual position. The operative part of the order is reproduced as below: -

"3. We find it appropriate to obtain a factual report verifying the facts and hence, constitute a Joint Committee Comprising District Magistrate, Jaunpur and UP State Pollution Control Board.

4. District Magistrate, Jaunpur shall be the Nodal Agency for compliance and co-ordination.

5. The Committee shall visit the site, collect relevant information and submit Factual Report within one month.

6. We also find it appropriate to implead following as respondents:

i. UP State Pollution Control Board, through its Member Secretary,

ii. District Magistrate, Jaunpur

iii. M/s R S Int Udyog thorough his Proprietor Ajit Vikram Singh R/o Lathepur, Development Block Muftiganj, Tehsil Kerakat, District -Jaunpur.

7. Registry shall issue notices to the above respondents who may file their responses at least one week before the next date.

8. List this matter for further consideration on 13.08.2024."

2. That it is submitted that in compliance of hon'ble NGT directions, the following members have been nominated by the concerning departments:
 - a. Shi Ram Akshayabar Chauhan, Additional District Magistrate, Jaunpur.
 - b. Sri U.K. Gupta, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Varanasi.

3. That the following issues were raised by the applicant in his application:-

".....that in village that in village Devkali, Development Block Muftiganj, Tehsil Kerakat, District Jaunpur, in Gata No.583 area 1.169 hectare, a brick kiln namely M/s R S Int Udyog, Proprietor Ajit Vikram Singh is being operated in violation of siting criteria provided in U.P. Government Notification dated 27.06.2012, and also without obtaining any statutory consent under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (hereinafter referred to as 'Air Act, 1981')."

4. That the Committee members discussed and decided a date for carrying out field visit of questioned brick kiln. The joint committee conducted the site visit of the questioned brick Kiln of District-Jaunpur on dated 07.08.2024 for reviewing the factual status of the grievances made by the complainant / applicant.


5. Field Observations of the committee:

I. No Brick Kiln was found operated with the name of M/s R S Int Udyog at the gata No. 583/ 1.169 Hectare of Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur.

As per record of revenue, M/s Gagan Ent Udhyog (R.S. Marka) is situated at the said gata No. 583/ 1.169 Hectare of Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur.

II. M/s Gagan Int Udyog, Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur was not found operational during visit. The Brick Kiln has not obtained 'Consent to Operate'(CTO) form UPPCB. No document regarding CTE or CTO issued by UPPCB was presented by the representative of brick kiln during site visit.

- III. The monitoring of gaseous emission could not be done due to non-firing in brick kiln at the time of visit. The Brick kiln is designed at Zig Zag technology.
- IV. During visit, the joint committee was found baked bricks at the premises of Brick Kiln as well as filled in trench.
- V. Photographs are as follows: -



6. That UPPCB had issued show-cause notice against the brick kiln under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-22.11.2023 as per recommendation made by Regional Officer, Varanasi sent vide letter dated-25.10.2023. The copies of letter dated 22.11.2023 and 25.10.2023 are attached herewith and marked as Annexures No.-1 and 2.
7. That UPPCB had been issued closure order against the brick kiln under section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-10.01.2024 (Annexures No.-3).
8. That in pursuance to the closure order dated 10.01.2024, The District Magistrate, Jaunpur vide office order dated 18.01.2024 has constituted the five-member

committee for the compliance of the closure order dated 10.01.2024 against the brick kiln in question. The copy of the office order dated 18.01.2024 is being annexed herewith as Annexure No-4 to this response.

9. That in pursuance to District Magistrate, Jaunpur order dated 18.01.2024, the compliance of the closure order dated 10.01.2024 against the brick kiln in question was complied by the officials of the above stated committee on 07.03.2024. A copy of the compliance report dated 07.03.2024 along with photographs is being annexed herewith as Annexure No-5 to this response.

10. That further in compliance to the Hon'ble Tribunal order dated 15.05.2024, the officials of the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control, Varanasi has inspected the site of the brick kiln in question i.e. M/s Gagan Ent Udhyog (R.S. Marka), Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur on 15.07.2024 and in said inspection the brick kiln was found closed. A copy of the Inspection report dated 15.07.2024 along with photograph is being attached as Annexure No-6 to this response.


11. That it is submitted that UPPCB has also requested to S.H.O. (Police), Keraket, Jaunpur vide letter dated-21.05.2024 for ensuring the compliance of closure order issued against the brick kiln. Copy of the letter dated 21.05.2024 is attached herewith and marked as Annexure No-7 to this response.

Conclusion:

The brick kiln namely M/s Gagan Int Udyog (R.S. Marka), Village-Devkali, Tehsil-Kerakat, District-Jaunpur has not obtained valid 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB. UPPCB had issued closure order against the brick kiln under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-10.01.2024. For ensuring the compliance of closure order, the Joint Committee constituted by District Administration, Jaunpur vide Letter dated 18.01.2024 had stopped the operation of brick kiln on dated 07.03.2024. Further, UPPCB has also requested to S.H.O. (Police), Keraket, Jaunpur vide letter dated-21.05.2024 for ensuring the compliance of closure order issued against the brick kiln. Presently, the operation of brick kiln was found closed during site visit on dated 15.07.2024 by UPPCB official and on dated 07.08.2024 by joint committee.

The above factual joint committee report is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

Dated: 08.08.2024




(U.K. Gupta)

Regional Officer

UPPCB,


Varanasi



(Sukhendra Singh)

Mining Officer

Jaunpur.



(Ram Akshayabar Chauhan)

ADM (F/R)

Jaunpur



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI



संदर्भ सं०/Ref.No. 1720/IGRS/23-24

दिनांक 25-10-23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6),

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ।

विषय:- मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील- केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध श्री दीपक राय, ग्राम-सूचितपुर (गद्दीपुर), विकास खण्ड-मुफ्तीगंज, तहसील व परगना-केराकत, जनपद-जौनपुर द्वारा आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 12194230203062 (मुख्यमंत्री संदर्भ) एवं आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 60000230200205 (प्रधान मंत्री संदर्भ) के माध्यम से की गयी शिकायत के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध श्री दीपक राय, ग्राम-सूचितपुर (गद्दीपुर), विकास खण्ड-मुफ्तीगंज, तहसील व परगना-केराकत, जनपद-जौनपुर द्वारा आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 12194230203062 (मुख्यमंत्री संदर्भ) एवं आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 60000230200205 (प्रधान मंत्री संदर्भ) के माध्यम से की गयी शिकायत का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संदर्भ में शिकायती ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय के श्री राज नाथ चौधरी, वैज्ञानिक सहायक एवं श्री रणजीत कुमार, अनुश्रवण सहायक द्वारा दिनांक 22.10.2023 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संलग्न आख्यानुसार उक्त ईट भट्टा ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर में स्थापित है तथा ईट भट्टा सत्र 2022-23 में संचालित किया गया है। ईट भट्टा स्थल का जिओ को-आर्डिनेट्स 25.660305 अक्षांश एवं 82.857852 देशांतर है। निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा जी०एस०टी० अधिनियम की धारा-71 के अन्तर्गत स्टाक विवरण, जिला परिषद की प्रपत्र संख्या-5 एवं रायल्टी जमा रसीद (भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा-जौनपुर) की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी (छायाप्रति संलग्न)। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को स्थापनार्थ सहमति (सी०टी०ई०) एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत नहीं है। उक्त ईट भट्टा जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर स्थापित है। ईट भट्टे द्वारा कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग करके ईट का उत्पादन किया जाता है। ईट भट्टे की उत्पादन क्षमता लगभग 20,000 ईट/दिन की है। ईट भट्टे में लगभग 3.0 टन प्रतिदिन कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पलू गैसों के उत्सर्जन हेतु जमीन से लगभग 30 मीटर ऊँची फिक्स चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे की चिमनी पर गैसीय उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण हेतु सैम्पलिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। आख्यानुसार उक्त संदर्भित ईट भट्टा का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 में उल्लिखित साईटिंग क्राईटेरिया के अनुरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा आख्या में दिये गये विस्तृत विवरण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित ईट भट्टा मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील- केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

पू०सं० व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-

1. नोडल आई०जी०आर०एस०, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री दीपक राय, ग्राम-सूचितपुर (गद्दीपुर), विकास खण्ड-मुफ्तीगंज, तहसील व परगना-केराकत, जनपद-जौनपुर को उनके आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 12194230203062 (मुख्यमंत्री संदर्भ) एवं आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 60000230200205 (प्रधान मंत्री संदर्भ) के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(डॉ० एस०सी० शुक्ला)

क्षेत्रीय अधिकारी

25/10/23

क्षेत्रीय अधिकारी

25/10/23

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, गेलपुर, वाराणसी-221010, दूरभाष : 0542-2275051, फ़ैक्स : 0542-2275051
मुख्यालय: टी०सी०-12वी, किंग्जि खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ-226010, दूरभाष : 0522-2720820, 2720801, 2720831, फ़ैक्स : 0522-2720784
ई-मेल : info@uppcb.com वेबसाइट : www.uppcb.com

RO PC DE SC BR

मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० माकी), ग्राम-देवकली, तहसील- केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध श्री दीपक राय, ग्राम-सूचितपुर (गद्दीपुर), विकास खण्ड-मुफ्तीगंज, परगना एवं तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर द्वारा आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 12194230203062 (मुख्यमंत्री संदर्भ) एवं आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 60000230200205 (प्रधान मंत्री संदर्भ) के माध्यम से की गयी शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उक्त संदर्भित ईट भट्टा के विरुद्ध श्री दीपक राय, ग्राम-सूचितपुर (गद्दीपुर), विकास खण्ड-मुफ्तीगंज, तहसील व परगना-केराकत, जनपद-जौनपुर द्वारा आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 12194230203062 (मुख्यमंत्री संदर्भ) एवं आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 60000230200205 (प्रधान मंत्री संदर्भ) के माध्यम से की गयी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में शिकायती ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 22.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का उत्पादन आफरसीजन होने के कारण बन्द पाया गया तथा श्री गुन्नी लाल, गुन्नी ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

- 1 उक्त ईट भट्टा ग्राम-देवकली, तहसील- केराकत, जनपद-जौनपुर में स्थापित है। ईट भट्टे के चिमनी के समीप जिओ को-आर्डिनेट्स 25.660305 अक्षांश एवं 82.857852 देशांतर पाया गया।
- 2 निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा दी गयी मौखिक सूचनानुसार ईट भट्टा वर्ष 2022 में स्थापित एवं विगत ईट भट्टा सत्र 2022-23 में संचालित किया गया है।
- 3 निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा जी०एस०टी० अधिनियम की धारा-71 के अन्तर्गत स्टाक विवरण, जिला परिषद की प्रपत्र संख्या-5 एवं रायल्टी जमा रसीद (भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा-जौनपुर) की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी (छायाप्रति संलग्न)।
- 4 कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को स्थापनार्थ सहमति (सी०टी०ई०) एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत नहीं है।
- 5 उक्त ईट भट्टा जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर स्थापित है। ईट भट्टे द्वारा कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग करके ईट का उत्पादन किया जाता है। ईट भट्टे के प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचनानुसार ईट भट्टे की उत्पादन क्षमता लगभग 20,000 ईट/दिन की है।
- 6 ईट भट्टे में लगभग 3.0 टन प्रतिदिन कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पलू गैसों के उत्सर्जन हेतु जमीन से लगभग 30 मीटर ऊँची फिक्स चिमनी स्थापित है।
- 7 निरीक्षण के समय ईट भट्टे की चिमनी पर गैसीय उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण हेतु सैम्पलिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
- 8 ईट भट्टे में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन में कच्चे माल की मिक्सिंग हेतु किया जाता है।
- 9 ईट भट्टे के चिमनी से चारों दिशाओं का स्थलीय विवरण निम्नवत् है:-

पूरब दिशा	ईट भट्टा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली का 04 से 05 मकान तथा लगभग 275 मीटर की दूरी संतोषी माँ कन्या विद्यापीठ विद्यालय व लगभग 600 मीटर की दूरी ग्राम-देवकली की मुख्य आबादी स्थित है।
पश्चिम दिशा	ईट भट्टा से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम-मीरपुर की 8-10 घर की आबादी स्थित है।
उत्तर दिशा	ईट भट्टा से लगभग 115 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की 7-8 घर की आबादी तथा लगभग 500 मीटर की दूरी एक अन्य ईट भट्टा व सैदपुर-खजुरहट सम्पर्क मार्ग स्थित है।
दक्षिण दिशा	ईट भट्टा से लगभग 350 मीटर की दूरी पर ग्राम-बददपुरा की मुख्य आबादी व लगभग 450 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बददपुर स्थित है।
दक्षिण-पश्चिम दिशा	ईट भट्टा से लगभग 225 मीटर की दूरी पर मेसर्स राज ईट उद्योग (गंगा माकी) स्थित है।
उत्तर-पूरब दिशा	ईट भट्टा से लगभग 350 मीटर की दूरी पर देवकली बाजार व लगभग 450 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय, देवकली स्थित है।

उक्त स्थलीय विवरण के अनुसार उक्त संदर्भित ईट भट्टा का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 में उल्लिखित साईटिंग क्राईटेरिया के अनुरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित ईट भट्टा मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० माकी), ग्राम-देवकली, तहसील- केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(रणजीत कुमार)
अनुश्रवण सहायक


(आर० एन० चौधरी)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

25/10/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 403/59 / वृत्त-6 / ईट भट्टा-685 / का0ब0नो0 / वाराणसी / 2023

दिनांक 22/11/23

सेवा में,

मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का),
ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत,
जनपद-जौनपुर।

यह कि मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी तथा कोयले का प्रयोग कर लगभग 20,000 ईट प्रतिदिन का उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मेसर्स मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 22.10.2023 को किया गया। उक्त ईट भट्टा ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर में वर्ष 2022-23 से स्थापित एवं संचालित है। निरीक्षण के समय श्री मुन्नी लाल, मुंशी ईट भट्टे के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा उत्पादनरत् नहीं पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्यानुसार स्थापित ईट भट्टे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली के 04 से 05 मकान तथा लगभग 275 मीटर की दूरी संतोषी माँ कन्या विद्यापीठ विद्यालय व लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की मुख्य आबादी स्थित है। पश्चिम दिशा में ईट भट्टे से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम-मीरपुर की 8-10 घर की आबादी स्थित है। उत्तर दिशा में ईट भट्टे से लगभग 115 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की 7-8 घर की आबादी तथा 500 मीटर की दूरी पर एक अन्य ईट भट्टा व सैदपुर-खजुरहट सम्पर्क मार्ग स्थित है। दक्षिण दिशा में ईट भट्टे से लगभग 350 मीटर की दूरी पर ग्राम-बददपुरा की मुख्य आबादी व लगभग 450 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बददपुरा स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 225 मीटर की दूरी पर मेसर्स राज ईट उद्योग (गंगा मार्का) स्थित है। उत्तर-पूरब दिशा में ईट भट्टे से लगभग 350 मीटर की दूरी पर देवकली बाजार व लगभग 450 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय, देवकली स्थित है। उक्त ईट भट्टा का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे में लगभग 3.0 टन कोयला प्रतिदिन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ईट भट्टे में फ्ल्यू गैसों के उत्सर्जन हेतु जमीन से लगभग 30 मीटर ऊँची फिक्स चिमनी स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्यानुसार ईट भट्टे को स्थापनार्थ सहमति (सी.टी.ई.) एवं संचालन हेतु सहमति (वायु) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत नहीं है।

उक्त परिस्थितियों में ईट भट्टे द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21/22 का अनुपालन न करते हुए इकाई का संचालन करना आज्ञापक प्राविधानों का उल्लघन है।

.....2/-

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@unncb.in - Web Site: www.unncb.com

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्टे मेसर्स गगन ईट उद्योग, (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपकी ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ईट भट्टा एवं उसके स्वामी का होगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, जौनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर।
4. जिला खनन अधिकारी, जौनपुर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि 15 दिन में ईट भट्टे का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

24-1-24

Ref. No. Ho 5485 / सी-6 / ईट भट्टा-685 / बंदी आदेश / वाराणसी / 2023

Dated 14-1-24

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का),
ग्राम-देवकली,
तहसील-केराकत,
जनपद-जौनपुर।

यह कि मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर, जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी तथा कोयले का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर, ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 28.12.2023 को किया गया। उक्त ईट भट्टा ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर में वर्ष 2023-2024 में स्थापित है। निरीक्षण के समय श्री अजीत विक्रम सिंह, ईट भट्टे के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा में उत्पादन रत नहीं पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्यानानुसार स्थापित ईट भट्टे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली के 04 से 05 मकान तथा लगभग 275 मीटर की दूरी संतोषी माँ कन्या विद्यापीठ विद्यालय व लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की मुख्य आबादी स्थित है। पश्चिम दिशा में ईट भट्टे से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम-मीरपुर की 8-10 घर की आबादी स्थित है। उत्तर दिशा में ईट भट्टे से लगभग 115 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की 7-8 घर की आबादी तथा 500 मीटर की दूरी पर एक अन्य ईट भट्टा व सैदपुर-खजुरहट सम्पर्क मार्ग स्थित है। दक्षिण दिशा में ईट भट्टे से लगभग 350 मीटर की दूरी पर ग्राम-बददपुर की मुख्य आबादी व लगभग 450 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बददपुरा स्थित है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 225 मीटर की दूरी पर मेसर्स राज ईट उद्योग (गंगा मार्का) स्थित है। उत्तर-पूरब दिशा में ईट भट्टे से लगभग 350 मीटर की दूरी पर देवकली बाजार व लगभग 450 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय, देवकली स्थित है। उक्त ईट भट्टा का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे में लगभग 3.0 टन कोयला प्रतिदिन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ईट भट्टे में पलू गैसों के उत्सर्जन हेतु जमीन से लगभग 30 मीटर ऊंची फिक्स चिमनी स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्यानानुसार ईट भट्टे को स्थापनार्थ सहमति (सी०टी०ई०) एवं संचालन हेतु सहमति (वायु) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत नहीं है।

उक्त परिस्थितियों में ईट भट्टे द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21/22 का अनुपालन न करते हुए इकाई का संचालन करना आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

1 उपस्थित

5/1/24

24/1/24

24/1/24

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

-2-

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर०एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर, के विरुद्ध वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर०एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर, के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठे को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जौनपुर।
2. पुलिस अधिक्षक, जौनपुर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर।
4. जिला खनन अधिकारी, जौनपुर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्ठे को जारी बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर

पत्रांक : 2024/गगन ईट उद्योग/399/2023-24
आदेश

दिनांक : 18-01-2024

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच 05485/सी-6/ईट भट्टा-685/बन्दी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा मेरारी गगन ईट उद्योग (आर०एस०माका), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथारंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की टीम गठित की जाती है :-

1. उपजिलाधिकारी, जौनपुर।
2. थानाध्यक्ष, केराकत, जौनपुर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जौनपुर।
4. जिला खान अधिकारी, जौनपुर।
5. श्री सी०पी० वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

उक्त संयुक्त टीम के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि तीन दिन के अन्दर उक्त संदर्भित ईट भट्टा के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अधोहरताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(अनुज कुमार झा)
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
जौनपुर
0/2

पत्रांक एवं दिनांक :उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस अधीक्षक, जनपद-जौनपुर को इस आशय के साथ कि थानाध्यक्ष, केराकत, जौनपुर को अपने स्तर से निर्देश देने का कष्ट करें।
2. सदस्य सचिव, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
जौनपुर
0/2

मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच 5485/सी-6/ईट भट्टा-685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 'ए' के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश एवं तत्सम्बन्ध में बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-जौनपुर के पत्र संख्या-2084/गगन ईट उद्योग/399/ 2023-24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा गठित संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या।

मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्र संख्या-एच 5485/सी-6/ईट भट्टा-685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्या-2084/गगन ईट उद्योग/399/ 2023-24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी। संयुक्त समिति द्वारा आज दिनांक 07/03/24 को उक्त संदर्भित ईट भट्टा मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन ईट भट्टा प्रतिनिधि की उपस्थित में कराया गया तथा बन्दी आदेश की प्रति भी प्राप्त करायी गयी। बन्दी के दौरान उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का पूर्णतया अनुपालन किया जाये।

क्र०सं०	नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	मूसाराम थाक तहसीलदार, केराकत जौनपुर	
2.	सुखेन्द्र सिंह जिला थान निरिहक जौनपुर	
3.	सी० पी० वर्मा के० एस० उ० प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड वाराणसी	
4.	रामकान्त मिश्र उपनिरीहक थाना केराकत जौनपुर	
5.	रत्नप्रीत कुमार आ० न० उ० प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड वाराणसी	

इच्छा की शर्तों की थाना केराकत जौनपुर के करी आदेश के अनुपालन हेतु उपरि किया जाता है।

7-3-24

(अधीन सिंह)
ईट भट्टा जौनपुर

मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर0एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उक्त संदर्भित ईट भट्टा मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर0 एस0 मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर का निरीक्षण दिनांक 15.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है। निरीक्षण के समय श्री चुन्ना लाल सरोज पुत्र स्व0 भग्गल राम, गुंशी उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा बन्द पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त संदर्भित ईट भट्टा ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर में स्थापित है। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे का पूर्व में दिनांक 22.10.2023 एवं दिनांक 28.12.2023 को निरीक्षण किया गया था। उक्त तिथियों को निरीक्षण के समय ईट भट्टा बन्द पाया गया था। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।
2. ईट भट्टे द्वारा कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग करके लगभग 20,000 ईट प्रतिदिन के दर से उत्पादन किया जाता है।
3. ईट भट्टे में ईधन के रूप में लगभग 3.0 टन प्रतिदिन दर से कोयला का प्रयोग किया जाता है। पलू गैसों के उत्सर्जन हेतु जमीन से लगभग 30 मीटर ऊँची फिक्स चिमनी स्थापित है।
4. ईट भट्टे की चिमनी पर गैसीय उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण हेतु सैम्पलिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं है।
5. ईट भट्टे में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन में कच्चे माल की मिक्सिंग हेतु किया जाता है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0) एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत नहीं है।
7. ईट भट्टे के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच.5485/सी-6/ईट भट्टा-685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया था। तत्क्रम में जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का अनुपालन दिनांक 07.03.2024 को कराकर थानाध्यक्ष, केराकत, जनपद-जौनपुर को सुपूर्द किया गया तथा इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.05.2024 द्वारा ईट भट्टे के बन्दी आदेश का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु थानाध्यक्ष, केराकत, जौनपुर को पत्र प्रेषित किया गया था (छायाप्रति संलग्न)।
8. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 544/2024 (दीपक राय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में दिनांक 15.05.2024 को आदेश पारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 का प्रमुख अंश निम्नवत् है :-

"1. In this Original Application the grievance of the applicant is that respondent no. 5 M/s Gagan Brick Industry, at Village Devkali, Tehsil-Kerakat, District-Jaunpur, Uttar Pradesh is operating without adhering to the siting guideline and without obtaining CTE and CTO.

2. Learned Counsel for the applicant has submitted that Applicant had earlier filed O.A. No. 800/2023 raising this grievance and the said O.A. was disposed of vide order dated 05.01.2024 with a direction to Member Secretary, UPPCB to take expeditious action on the communications sent by the R.O. to the Member Secretary on 25.10.2023.

3. Learned Counsel submits that in spite of the directions of the Tribunal no effective action has been taken by the authorities and the brick kiln is still operating violating the norms.

4. This O.A. raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms....."

9. निरीक्षण के समय राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच.5485/सी-6/ईट भट्टा-685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्टा का संचालन बन्द पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

23.7.24
(राज नार्थ चौधरी)
वैज्ञानिक सहायक

23.7.24
(सी0 पी0 वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

23/07/2024



मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर०एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं० / Ref.No. 190 | गगन ईट भंडार | 399/2024-25

दिनांक / Date. 21-05-24

सेवा में,

थानाध्यक्ष-केराकत,
जौनपुर।

अतिप्रादेशिक/महत्वपूर्ण
मा० एन०जी०टी० प्रकरण
रजिस्टर्ड डाक द्वारा
अनुसारक

विषय- मेसर्स गगन ईट उद्योग (आर०एर० मा०) प्राग-बैथकसी, राहरील-केराकत, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश दिनांक 10.01.2024 को अनुपालन के सम्बन्ध में। महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 108/गगन ईट उद्योग/399/2024-25, दिनांक 25.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्लत-6), बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 5485/सी-6/ईट भट्टा-685/बन्दी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा राज्य बोर्ड से ईट भट्टा के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 10.01.2024 का अनुपालन जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर के कार्यालय आदेश पत्रांक 2084/गगन ईट उद्योग/399/2023-24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.03.2024 को कराया गया था। गठित समिति में आप सदस्य के रूप में नामित किये गये थे तथा श्री रमाकांत सिंह, उप निरीक्षक, थाना-केराकत, थाना प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। संयुक्त समिति द्वारा बन्दी आदेश का अनुपालन कराकर ईट भट्टे को इस आशय के साथ आपको सुपुर्द किया गया था कि अग्रेतर ईट भट्टे का संचालन न हों (छायाप्रति संलग्न)। प्ररनगत ईट भट्टा के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 800/2023 दीपक राय बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन में कराया गया था तथा अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या 43/एन०जी०टी० ओ० ए० नं० 800/2023/2024-25, दिनांक 06.04.2024 के द्वारा मा० एन०जी०टी० में दाखिल किया गया है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या 544/2024 दीपक राय बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक 15.05.2024 को आदेश पारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के प्रनुख अंश निम्नवत् है:-

1. In this Original Application the grievance of the applicant is that respondent no. 5 M/s Gagan Brick Industry, at Village Devkati, Tehsil - Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh is operating without adhering to the siting guideline and without obtaining CTE and CTO.
2. Learned Counsel for the applicant has submitted that Applicant had earlier filed O.A. No. 800/2023 raising this grievance and the said O.A. was disposed of vide order dated 05.01.2024 with a direction to Member Secretary, UPPCB to take expeditious action on the communications sent by the R.O. to the Member Secretary on 25.10.2023.
3. Learned Counsel submits that in spite of the directions of the Tribunal no effective action has been taken by the authorities and the brick kiln is still operating violating the norms.
4. This O.A. raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms."

कृपया अवगत कराना है कि प्ररनगत प्रकरण मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश से आच्छादित है। अतः मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 की प्रति संलग्नकर इस आशय के साथ प्रेषित कि संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.03.2024 को प्ररनगत ईट भट्टे के संचालन को बन्द कराये जाने की स्थिति का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

पृ०सं० एवं दिनांक-उपरोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से थानाध्यक्ष-केराकत को निर्देशित करने की कृपा करें कि उक्त ईट भट्टा का संचालन किसी भी घरा में न किया जाये।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. उप जिलाधिकारी, केराकत, जौनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्लत-6), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. श्री सी०पी० वर्मा, वैज्ञानिक सहायक एवं श्री रणजीत कुमार, अनुभवण सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्ररनगत ईट भट्टे का तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराये।

मवदीय,
क्षेत्रीय अधिकारी 21/5/24
O/L
K.K.

क्षेत्रीय अधिकारी 21/5/24

Site visit of M/s Gagan Ent Udhyog (R.S. Marka) is situated at the said gata No. 583/ 1.169 Hectare of Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur in the matter of OA 395/2024, Deepak Rai versus State of Uttar Pradesh & Ors.



Site visit of Joint Committee